अस्थाई बस स्टेशनों पर कैन्टीन आदि के ठेकों हेतु

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कुम्भ मेला–2019 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, के निम्नलिखित अस्थाई बस स्टेशनों/पार्किंग स्थलों पर स्टाफ एवं यात्रियों को खानपान की व्यवस्था उपलब्ध कराये जानें हेतु कैण्टीन/जलपान गृह के संचालन हेतु निविदा के माध्यम सें दिनॉक 15.12.2018 को निम्न विवरणानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिमाह आफर की गई धनराशि के एक माह के समतुल्य धनराशि का बेक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में एवं ₹ 10,000.00 (दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेष्टमनी के रूप में (दो अलग–अलग) जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। टेन्डर फार्म ₹ 24.00 नकद जमा करने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के दिन प्राप्त किया जा सकता है:–

1–टेन्डर फार्म क्रय करने की तिथि:– दिनांक 08.12.2018 से दिनांक 14.12.2018 तक (अवकाश के दिनों को छोडकर)

2–फार्म टेन्डर बाक्स में जमा करने का स्थान एवं तिथि:– 15.12.2018 समय 14.00 बजे तक (क्षे0प्र0 कार्यालय,प्रयागराज)

4–टेण्डर खोलने की तिथि व समय:– 15.12.2018 को 15.00 बजे सें।

5–बस स्टेशन ठेकों का विवरण निम्नवत् है:–

अस्थाई बस बस स्टेशन

1–झूँसी – कैण्टीन/जलपान गृह।
2–आई0टी0आई परिसर, नैनी– कैण्टीन/जलपान गृह।
3–रूदापुर, फाफामऊ– कैण्टीन/जलपान गृह।
4–सन्त निरंकारी सत्संग परिसर,अन्दॉवा–कैण्टीन/जलपान गृह।
5–दुर्जनपुर– कैण्टीन/जलपान गृह।
6–नवाबगंज हाईवे– कैण्टीन/जलपान गृह।
7–शिवगढ़ हाईवे– कैण्टीन/जलपान गृह।
8–पूरामुफ्ती– कैण्टीन/जलपान गृह।
9– फूलपुर– कैण्टीन/जलपान गृह।
10–गौहनियॉ– कैण्टीन/जलपान गृह।

ठेके अधिकतम कुम्भ मेला 2019 की अवधि हेतु स्वीकृत किये जायेगे, परन्तु यदि परिवहन निगम द्वारा उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तो ठेके को निरस्त करने का अधिकार परिवहन निगम को होगा। किसी भी ठेके की निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है। निगम प्रशासन/निविदा समिति द्वारा आवन्टित किये गये निर्धारित स्थान पर ही ठेका चलाने के लिये अधिकृत होगें, जो ठेकेदारों को मान्य होगा तथा स्वीकृत किये गये ठेके का जीएसटी नियमानुसार प्रति माह लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त ठेकेदारो को जमा करना होगा। **ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मुल्य का निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।**

निविदा की शर्ते पूर्ण न पाये जाने पर टेन्डर पर विचार नही किया जायेगा। अतः निविदा की शर्ते भली–भॉति पढ़कर ही टेन्डर फार्म की औपचारिकताऐं पूर्ण करें। अन्य शर्ते इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस मे देखी जा सकती है। निविदा सूचना तथा निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का पूर्ण विवरण परिवहन निगम की बेवसाइट www.upsrtc.com पर उपलब्ध है। बेवसाईट से डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 24.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0परि0निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है, परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन (शुद्धि पत्र) केवल निगम की उपरोक्त बेवसाइट पर ही उपलब्ध होगी। **प्रत्येक अस्थाई बस स्टेशन के लिये अलग–अलग निविदाये ही मान्य होगी।**

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, प्रयागराज

पत्रॉक 12734/जन/क्षे0प्र0 (पीआर)/कैन्टीन/निविदा–कु0मे0–19/2018 दिनॉक:– 06.12.2018

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. मेला अधिकारी कुम्भ मेला–2019 प्रयागराज।
2. प्रधान प्रबन्धक(विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक(संचालन/नोडल अधिकारी प्रयागराज क्षेत्र) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक(ईडीपी) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना, निविदा परिपत्र एवं शर्तो को निगम की बेवसाइट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम.................।
6. सेवा प्रबन्धक, परिवहन निगम, प्रयागराज ।
7. समस्त स0क्षे0प्र0/व0के0प्र0 डिपो प्रभारी, प्रयागराज ।
8. नोटिस बोर्ड/कैशियर क्षे0प्र0 कार्यालय प्रयागराज ।

07/12
क्षेत्रीय प्रबन्धक

KM2019NILAMI

Downloaded from www.upsrtc.com

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्ट साइज का फोटो

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ

उ0प्र0रा0स0प0नि0
क्रम0सं0 पीआर................

निविदा प्रपत्र

मूल्य ₹ 24.00
रसीद सं0 / डी0डी0नं0

निविदा जारी करने का दिनांक..निविदा निर्गत करने हेतु प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर एंव मोहर...

1.– निविदा दाता का नाम : ....

2.– पिता का नाम : ....

3.– स्थायी पता : ....

....

4.– बस स्टेशन, क्षेत्र एंव जिस स्टाल हेतु निविदा दिया गया है, का विवरण : ....

....

5.– स्टाल संचालन की अवधि : ....

6.– प्रस्तावित प्रतिमाह
लाइसेंस शुल्क(शब्दों में)..

(अंकों में)..

7.– अर्नेष्टमनी की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : ....
....

8. – प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : ....
....

उक्त दी गई सूचनायें सही हैं एंव यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है, तो इस हेतु व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी रहूंगा।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

नोटः– एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है, तो जमा अर्नेस्ट मनी एंव प्रतिभूति धनराशि का बैक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एंव उसका निर्णय अन्तिम होगा। निविदा प्रपत्र नियमावली सहित, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

Downloaded from
www.upsrtc.com

मुख्य शर्तें

निविदा की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :—

1— जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2— प्रत्येक निविदा के साथ ₹ 10,000.00 का बैंक ड्राफ्ट अर्नेष्टमनी धनराशि के रुप में, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र में बैंक ड्राफ्ट का विवरण देते टेण्डर के साथ सील बन्द लिफाफें प्रेषित किए जायेंगे।

3— प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिमाह ऑफर की गई मासिक लाइसेन्स शुल्क के एक माह के समतुल्य राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4— निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल—चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर संलग्न करना होगा तथा अपनी फोटो(पासपोर्ट साईज की) किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

5— जिस स्टाल एंव स्थान के लिए निविदा दिया जा रहा है, उस स्टाल का नाम व स्थान का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित करना होगा।

6— अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार नहीं किया जायेगा।

7— परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ठेका/स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल/ठेका संचालित करना होगा।

8— निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव के साथ एक माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रुप में निविदा के साथ संलग्न न होने पर अर्नेष्टमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9— स्टाल्स का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त निविदा, सक्षम अधिकारी की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

10— ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0 स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित राशि का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टैम्प निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

11— निविदा प्रपत्र को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकेगा, परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

Downloaded from www.upsrtc.com